महत्वपूर्ण

संख्या-08/2020/662/86-2020-132/2016-टी0सी-2

प्रेषक,

डा0 रोशन जैकब,

सचिव,

उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश

भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग लखनऊ दिनांक 26 मार्च, 2020

विषयः-उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि से उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में धनराशि का व्यय किया जाना।

महोदय,

प्रदेश में खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों में आवश्यक क्रिया-कलाप सम्पादित करने की रीति को विहित करने के दृष्टिगत ''उ0प्र0जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रभावी है। उक्त के क्रम में ''उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (प्रथम संशोधन) नियमावली-2020 अधिसूचना संख्या-436/86-2020-132/2016-टी0सी-2 दिनांक 18.03.2020 द्वारा प्रख्यापित की गई है, जिसके अनुसार ''न्यास निधि से व्यय'' सम्बन्धी उच्च प्राथमिकता वाले नियम-17(क) का उपनियम (ख) निम्नवत् हैः-

17(क)(खः- ''पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियत्रंण के उपाय-वहिःस्त्रोत उपचार सयंत्र, क्षेत्र में झरना, झील, तालाब, भूगर्भ जल और अन्य जलस्त्रोतों के प्रदूषण की रोकथाम, खनन संक्रियाओं और भंडारणों से उत्पन्न वायु एवं धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, खान जल निकासी प्रणाली, खान प्रदूषण निवारण तकनीकें, कार्यशील या निषिद्व खानों के लिए उपाय, अन्य वायु, जल तथा भू-सतह प्रदूषण नियंत्रण के तौर तरीके, पर्यावरणीय सौहार्द एवं सम्पोषणीय खान विकास हेतु वैज्ञानिक जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना, तथा पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के प्रयोजन से अवैध खनन/परिवहन पर नियंत्रण रखने हेतु तकनीकी अवसंरचनाओं के सृजन हेतु आवश्यक उपकरण एवं कार्मिक उपलब्ध कराना।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित नियम-17(क)(ख) के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के दृष्टिगत अवैध खनन/परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु न्यूनतम आवश्यक तकनीकी अवसंरचनाओं के सृजन, इसके लिये कार्मिकों की उपलब्धता तथा खानों के सुव्यवस्थित विकास हेतु वैज्ञानिक ढंग से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने के सम्बन्ध में न्यास निधि में उपलब्ध धनराशि का नियमानुसार उपयोग करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रोशन जैकब)

सचिव

संख्या-662(1)/86-2020, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. समस्त जनपदीय ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आत्मा राम

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in